कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 5680 नारायणपुर,दिनांक 28./12/2022

प्रति,

मुख्य वनसंरक्षक,
कांकेर वृत्त कांकेर

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed land for bastar Net Project is about creating an otical fiber bacbone network toboost the internet and telecome conectivity in Narayanpur division, area 0.854 ha. - Registration No. FP/CG/Other/27433/2018**

संदर्भ :— (2) अ.प्र.मु.व.सं .भू—प्रबंध/विविध/115—694/2539 दिनांक 15.10.2019

—:00:—

विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्र के द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सैद्वांतिक स्वीकृति का प्रेषित पालन प्रतिवेदन के अधिरोपित शर्त क्रमांक—15 के अनुपालन में वनअधिकार अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण के संबंध में कलेक्टर का प्रमाण पत्र मुख्य वनसंरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर के माध्यम से प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

अतःशर्त क्रमांक—15 के अनुपालन में वनअधिकार अधिकार अधिनियम अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरण के संबंध में कलेक्टर का प्रमाण पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित हैं

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 5681 नारायणपुर,दिनांक 28../12/2022

प्रतिलिपिः— अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध/व.स.अ.) रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नारायणपुर (छ0ग0)

दुरभाष : (07781) 252216–कार्यालय, 252215–फैक्स
Email : narayanpur.cg@nic.in, dmnpur@yahoo.com

// ज्ञापन //

क्रमांक/854/कलेक्टर/प्रस्तुतकार/2021 नारायणपुर दिनांक 22.05.2021

आवक 3561
दिनांक 25/5/2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
नारायणपुर

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 Proposed land Net project is about Creating fiber backbone network to boost the internet and Telecom Comectivity in narayanpur division, area 0.854 ha.

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./1425/नारायणपुर, दिनांक 16.03.2020

— 00 —

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से बस्तर नेट परियोजना अन्तर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन बिछाये गये क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर द्वारा जारी प्रदर्श–'स' चाही गई है।

अतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् ग्राम भाटपाल एवं बेनूर में वन अधिकार मान्यता प्राप्त व्यक्तियों की जानकारी प्रदर्श–'स' में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर, जिला नारायणपुर
22/5/2021

मा0 नि0
व.मं.अ.
नारायणपुर
24/05

प्रदश स

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष : (07781) 252216–कार्यालय, 252215–फैक्स
Email : narayanpur.cg@nic.in, dmnpur@yahoo.com

प्रमाण पत्र

क्रमांक /346/ कलेक्टर/प्रस्तुतकार/2021 नारायणपुर दिनांक 19.05.2021

मेसर्स मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी तृतीय तल स्टेट डाटा सेन्टर बिल्डिंग सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) को बस्तर नेट परियोजना अन्तर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन हेतु जिला नारायणपुर अंतर्गत ग्राम भाटपाल स्थित राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल क्षेत्रफल 181 वर्गमीटर भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन :–

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा ग्राम भाटपाल की प्रस्तावित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 181 वर्गमीटर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम व ग्राम भाटपाल तहसील व जिला नारायणपुर में स्थित है, तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 23.03.2021 (प्रदर्श–'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–'ब') पर दर्शित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 23.03.2021 ग्राम भाटपाल सरपंच जगनू राम नाग की अध्यक्षता में हुई। बैठक दिनांक 23.03.2021 में 40 प्रतिशत से अधिक ग्राम सभा के तथा वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (वर्गमीटर में)
1	भाटपाल	अन्धरूराम, पिता सोनसिंह, जाति गोंड़	46
2		फरसू कुंती, पिता लखमू, जाति गोंड़	66
3		रामसिंह, पिता शोभाराम, जाति गोंड़	36
4		रताय बाई, पिता मंगलू राम जाति गोंड़	33

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थित का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 23.03.2021 उपरोक्त प्रस्ताव विवरण अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन व ग्राम सभा के संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति,
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, नारायणपुर (छ0ग0)

दुरभाष : (07781) 252216–कार्यालय, 252215–फैक्स
Email : narayanpur.cg@nic.in, dmnpur@yahoo.com

प्रमाण पत्र

क्रमांक/345/कलेक्टर/प्रस्तुतकार/2021 नारायणपुर दिनांक 19.05.2021

मेसर्स मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी तृतीय तल स्टेट डाटा सेन्टर बिल्डिंग सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) को बस्तर नेट परियोजना अन्तर्गत ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन हेतु जिला नारायणपुर अंतर्गत ग्राम बेनूर स्थित राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कुल क्षेत्रफल 103 वर्गमीटर भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन :–

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा ग्राम बेनूर की प्रस्तावित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 103 वर्गमीटर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम व ग्राम बेनूर तहसील व जिला नारायणपुर में स्थित है, तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 27.03.2021 (प्रदर्श–'अ') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–'ब') पर दर्शित है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव दिनांक 27.03.2021 ग्राम बेनूर सरपंच शोभी राम पोटाई की अध्यक्षता में हुई। बैठक दिनांक 27.03.2021 में 34 प्रतिशत से अधिक ग्राम सभा के तथा वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (वर्गमीटर में)
1	बेनूर	कोतायबाई सह–खातेदार कमलूराम व दानूराम	103

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थित का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 27.03.2021 उपरोक्त प्रस्ताव विवरण अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार 'अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन व ग्राम सभा के संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति,
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

Email
09/08/18

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा0चि0/ 4540

प्रति,

नारायणपुर,दिनांक 09/08/2018

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ ईन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी,
तृतीय तल स्टेट डाटा सेन्टर बिल्डिंग
सिविल लाईन , रायपुर (छ0ग0)

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 proposed land for Bastar Net Project is about creating an potical fibe backbone network to boost the internet and telecome conectivity in Narayanpur Division , area 0.854 ha. regarding .**
Registration No. FP/CG/Other/27433/2017

संदर्भ :— (1) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन, रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 7—3/2018/10—2 दिनांक 26.05.2018

(2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू प्रबंध/वं सं अ) का पत्र क्रमांक /भू—प्रबंध/ विविध /115—694 /1113 दिनांक 07.04.2018 एवं पत्र क्रमांक /भू—प्रबंध/ विविध 115—694 द/1819 रायपुर दिनांक 15.06.2018

—:00:—

विषयांतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर छ0ग0 शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक /एफ—7—3/2018/10—2 रायपुर दिनांक 26.05.2018 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोंपरांत एतद् द्वारा नारायणपुर जिले के नारायणपुर वनमण्डल अंतर्गत 0.854 हे0 वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स स्टेट डाटा सेंटर भवन सिविल लाईन रायपुर छ0ग0 को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :—

6—(i) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग नया मंत्रालय भवन रायपुर का पत्र क्रमांक एफ—7—3/2018/10—2 दिनांक 26.05.2018 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षों की कटाई के प्राप्त प्रस्तावों में निर्धारित साईज (2मी0 गहराई एवं 1 मीटर चौड़ाई) खंती हेतु अनुमति दी गई है।

(ii) वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट ऑफ वे के अंतर्गत ही दी जाती है। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे —किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।

(iii) वन भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल /भूमिगत टेलीफोन लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार 2 मीटर गहरा तथा 1 मीटर चौडा से अधिक नहीं होगा ।

(iv) वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा ।

(v) वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोडकर अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जाएगा।

(vi) कार्य उपरान्त रखरखाव की अनुमति वनमण्डलाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी जिसमें खंती की खुदाई के उपरान्त समतलीकरण की शर्त शामिल रहेगी।

(vii) समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं की व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जाएगा।

(viii) समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खन्न नहीं किया जाएगा।

(ix) खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षो की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

(x). यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुचाई जाती है , तो वन मण्डलाधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

(xi). आवेदक /आवेदक संस्थान से लिखित में वचन पत्र देगे कि यदि भविष्य में भारत सरकार , राज्य सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हे मान्य होगी।

(xii). प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप आप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

(xiii). स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदन कर्ता द्वारा वनमण्डलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सके।

(xiv) आवेदक संस्थान वनमण्डलाधिकारी नारायणपुर के पूर्व अनुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा ।

(xv). वन भूमि हस्तांतरण से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागु होने वाले समस्त नियमों विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तो का पालन किया जाएगा ।

(xvi). बिना भारत सरकार की अनुमति के वनभूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन मान जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नागपुर को आवेदक संस्था निवेदन करेंगे।

(xvii). क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्य जीव (Flora & Fauna) के संरक्षण/ विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

वनमण्डल कार्यालय में उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही प्रकरण पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जावेगा । जब तक यह वनमण्डल द्वारा औपचारिक अनुमोदन जारी नही किया जायेगा तब तक वनभूमि पर कोई कार्य करने की अनुमति नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

क्रमांक/मा0चि0/ 4541
प्रतिलिपिः—

नारायणपुर,दिनांक 09/08/2018

(01) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ग्राउण्ड फ्लोर ईस्टर्न विंग, न्यू सेकेटेरियट बिल्डिंग VCA स्टेडियम के सामने सिविल लाईन नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(02) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(भू–प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर –19 नार्थ ब्लाक, केपिटल काम्पलेक्स, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(03) मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(04) कलेक्टर जिला– नारायणपुर की ओर सूचनार्थ ।

(05) उपवनमण्डलाधिकारी उत्तर/दक्षिण उपवनमण्डल एवं परिक्षेत्र अधिकारी नारायणपुर /बेनूर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी,
नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर

E-despatch
09/08/18